



2026:AHC-LKO:12836-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

लखनऊ

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 147 / 2026

जमुना प्रसाद

....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा प्रधान सचिव राजस्व विभाग लखनऊ व 7 अन्य प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	:	अशोक नारायण त्रिपाठी, दुर्गेश कुमार सिंह
प्रतिवादी के अधिवक्ता	:	तुषार वर्मा ए.सी.एस.सी., दिलीप कुमार पांडे

न्यायालय मुख्य न्यायाधीश

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

- कथित तौर पर जनहित में यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है, जिसमें प्रतिवादियों को पर्यावरण सुरक्षित करने और विपक्षी संख्या 8, निवाचित ग्राम प्रधान को ग्राम पंचायत टिकरा सानी, उत्तर गाँव, परगना निगोहा, तहसील मोहनलालगंज, जिला लखनऊ की गाटा संख्या 1937 की भूमि पर पेड़ों की कथित मनमानी और अवैध कटाई तथा पर्यावरण में व्यवधान के लिए दंडित करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
- यह दलीलें दी गई हैं कि 360 पेड़ लगाए गए थे, जिन्हें काट दिया गया है और इसलिए ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।
- लेखपाल की रिपोर्ट के अवलोकन से संकेत मिलता है कि वृक्षारोपण किया गया था, हालांकि, कोई भी पेड़ कटा हुआ नहीं पाया गया और अधिकांश पेड़ या तो सूख गए या जानवरों द्वारा खा लिए गए और इस संबंध में लगाए गए आरोपों का कोई आधार नहीं है।
- याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने पेड़ों के रोपण के संबंध में ग्राम प्रधान द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र पर भरोसा किया है, इस संबंध में कुछ चित्र अभिलेख पर रखे गए हैं, हालांकि, उनके अवलोकन से पेड़ों की कटाई का कोई संकेत नहीं मिलता है।
- चूंकि मामला यह है कि वृक्षारोपण वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान हुआ था और यदि कोई पेड़ या पौधे लगाए गए थे तो वे कुछ महीने पहले ही लगाए गए थे, इसलिए पेड़ों को काट दिए जाने के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।
- प्रत्यक्षतः, हमें वर्तमान जनहित याचिका को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं दिखता है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

(जसप्रीत सिंह, जे.) (अरुण भंसाली, सीजे.)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



18 फरवरी, 2026

संदीप/आशीष

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"